न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 488/2020
दायर दिनांक :– 23.12.2020

अनवान

राजेश कुमार पिता छीतर मीणा नि. टीकड तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. धापू देवी पत्नि लादू मीणा नि. टीकड तह. जहाजपुर
2. लदू पिता देवा मीणा नि. टीकड तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थी
3. श्री फारूख अली, एडवोकेट अप्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक .01.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम टीकड प. ह. टीकड तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 1730/2 रकबा 10.06 बीघा, आ.न. 1730/1 रकबा 0.02 बीघा गे.मु. आचा कुल किता 2 रकबा 10.08 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी स्थित है। ग्राम टीकड प. ह. टीकड तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 4130/1661 रकबा 04.05 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के खाते में दर्ज है एवं आ.न. 1669/1 रकबा 7.08 बीघा कृषि भुमि अप्रार्थी सं. 2 के खाते में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात पर प्रार्थी अपने हक व हिस्सा पर काबिज काश्त है प्रार्थी अपने हक व हिस्से की खातेदारी भूमि में ग्राम टीकड से सावतगढ, दांता, चायली माताजी वाले रोड से होकर आराजी न. 4130/1661, 1669/1 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे जो 13 फीट चौडा रास्ता है। पर होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी जमीन आराजी नं. 1730/2 व 1730/1 में कदमी समय से जाता आता रहा हैं एवं कृषि कार्य, कृषि यंत्र, कृषि उपज को नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी बिन्दु जो 13 फिट चौडा रास्ता से ट्रेक्टर द्वारा हंकाई बुवाई व फसल को लाते ले जाते रहे है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही हैं परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त कदीमी समय से चले आ रहे रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है। इसलिये आराजी सं. 4130/1661 व 1669/1 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे 13 फीट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा मे दर्शा रखा है को नक्शा ट्रेस में तरमीम करवा रास्ता खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वर्षो पूर्व चले आ रहे रास्ता को बन्द करने से मना किया तो मरने मारने एवं लडाई झगडा करने पर आमदा हुये। यदि उक्त रास्ता को खुलासा नही करते है तो प्रार्थी अपने खाते की जमीन पर आ जा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

नही पायेगे, न ही कृषि कार्य कर पायेगे व न ही कृषि यंत्र ले जा सकेगे। इसलिये प्रार्थी प्रार्थना पत्र के चरण सं 1 मे वर्णित कृषि आराजियात में जाने आने हेतु नजरी नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी बिन्दु 13 फिट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा सीट में तरमीम करवा, रास्ता किस्म दर्ज करवा, रास्ता को खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है, नजरी नक्शा ट्रेस संलगन है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। इस रास्ता में निकलने से अप्रार्थीगण बाधा न डाले, न अपने नोकर एजेन्ट रिश्तेदारो से रूकवाकर पैदा करे। इसलिये कानूनन प्रार्थी उक्त रास्ता को लटठा सीट में तरमीम करवा रास्ता घोषित करवाना चाहता है एवं ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। तथा प्रार्थी रास्ता में उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिफल राशि देने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु चरण सं. 2 में वर्णित आ. सं. 4130/1661, 1669/1 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे 13 फीट चौडा रास्ता राजस्व लटठा सीट में तरमीम कर रास्ता को खुलासा कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2 की और से श्री फारूख अली, एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जवाब प्रार्थनापत्र में बताया की प्रार्थी का अपनी आराजी में जाने हेतु किसी भी प्रकार का कोई रास्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की आराजी की उत्तर मेर पर 13 फिट रास्ता नही है। ना ही प्रार्थी का विगत सौ से अधिक वर्ष से प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 व 2 की आराजी में से होकर कभी भी अपनी आराजी में नही गया ना ही किसी भी प्रकार का कोई रास्ता कभी भी प्रार्थी की आराजी में जाने का नही रहा हैं ना ही कभी गुजरा हैं प्रार्थी की आराजी में जाने हेतु अन्य रास्ता स्थित है जिसमें से होकर प्रार्थी वर्षो से अपनी आराजी में जा आ जा रहा हैं। प्रार्थी की आराजी अप्रार्थी 1 व 2 की आराजी के बतौर पश्चिम दिशा की मेर पर स्थित है प्रार्थी की आराजी में जाने हेतु पूर्व से ही दो रास्ता प्रार्थी की आराजी के बतौर उत्तर एवं दक्षिण दिशा की और स्थित मेर की और स्थित है। उक्त दोनो रास्तो पर से होकर प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर आता जाता है उक्त रास्तो पर विगत साठ से अधिक वर्षो से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं उक्त दोनो रास्ते पर प्रार्थी ने लकडी की टांटी का दरवाजा लगा रखा है जिसमें से होकर निरन्तर आते जाते हैं उक्त दोनो रास्ता में से ही होकर प्रार्थी पुस्तैनी समय से अपनी आराजी मे आ जा रहा है। एवं अपने कृषि यन्त्र साधन फसल आदि ला रहा हैं एव ले जा रहा है। इसलिये प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करवाना फरमावे।

प्रार्थी की आराजी न. 1730/2, 1730/1 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 04.02.2021 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये खसरा नं. 1669/1, 4130/1661 में से 13 फिट चौडा रास्ता देने पर 0.05 बीघा, 0.07 बीघा कुल 0.12 बीघा भूमि प्रभावित होगी। प्रार्थी को रास्ता दिये जाने की स्थिति में आ.न. 1669/1, 4130/1661 में से रास्ता देने पर 0.05 बीघा, 0.07 बीघा कुल 0.12 बीघा में डी एल सी दर की दुगुनी दर के हिसाब से प्रतिकर 307080 रू. तीन लाख सात हजार अस्सी रू. बनता है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ.न. 1730/2, 1730/1 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

नही है। प्रार्थी की जोत तक पहुँचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 1669/1, 4130/1661 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थी की आराजी में जाने हेतु पूर्व से ही दो रास्ता प्रार्थी की आराजी के बतौर उत्तर एवं दक्षिण दिशा की और स्थित मेर की और स्थित है। उक्त दोनो रास्तो पर से होकर प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर आता जाता है। उक्त दोनो रास्ता में से ही होकर प्रार्थी पुरतैनी समय से अपनी आराजी मे आ जा रहा है। एवं अपने कृषि यन्त्र साधन फसल आदि ला रहा हैं एव ले जा रहा है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करवाना फरमावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 1730/2, 1730/1 में आने जाने हेतु ख. न. 1669/1, 4130/1661 में से रास्ता चाहते है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु पहले ही दो रास्ते प्रार्थी की आराजी के उत्तर और दक्षिण दिशा में उपलब्ध है, जिनका उपयोग प्रार्थी अपनी आराजी में आने जाने हेतु करता आया है। परंतु इस कथन की पुष्टि हेतु अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष कुछ भी पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि कौनसे दो रास्ते पहले से मौजुद है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 1730/2, 1730/1 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थी की आ.न. 1730/2, 1730/1 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 1669/1, 4130/1661 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 1730/2, 1730/1 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम टीकड प. ह. टीकड तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 1730/2, 1730/1 में आने जाने के लिये आ. न. 1669/1, 4130/1661 से 13 फिट चौडा रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 1669/1 में से रकबा 0.05 बीघा तथा आ.न. 4130/1661 में से रकबा 0.07 बीघा कुल 0.12 बीघा भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 4130/1661 में अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.07 बीघा की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 179130 रू. तथा आ. न. 1669/1 में अप्रार्थी सं. 2 को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.05 बीघा की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 127950 रू. का प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थीगण को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner